

आदेश की क्रम संख्या  
और तारीख


आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की  
के बारे में टिप्पण  
सहित

रैयत द्वारा इस प्रविष्टि के साक्ष्य के रूप में कागजात उपस्थापित नहीं किया जा सका।

उपर्युक्त परिस्थिति में विभिन्न राजस्व विभागीय परिपत्रों के आलोक में यह संदिग्ध जमाबंदी का मामला प्रतीत होता है।

अतः संबंधित रैयत को दिनांक 31.08.2016 को 11:00 बज पूर्वहन सभी कागजात अचूक रूप से प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें अन्यथा बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत उक्त जमाबंदी को रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी।

  
अंचल अधिकारी  
अंचल अधिकारी  
कूरडंग (सिमडेगा)

31/08/016

20/12/2020



अभिलेख द्वारा उपस्थापित किया गया संबंधित मामला में पूर्व नोटिस के आलोक में संबंधित रैयत के संबंध में श्री डेई उर्फ द्वारा किया गया उपाए का हस्ताक्षर प्रस्तुत नहीं किया गया।  
पुनः अंतिम नोटिस जारी है।

अभिलेख दिनांक 28/12/2020 को उपस्थापित नहीं

28/12/2020

अभिलेख उपस्थापित नोटिस का उपाए प्रस्तुत नहीं किया गया।  
उक्त उर्फ द्वारा किया गया उपाए का हस्ताक्षर प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः इस क्रम एवं अंतिम नोटिस के आलोक में उक्त रैयत का जमाबंदी को रद्द किया जा रहा है।

  
अंचल अधिकारी  
कूरडंग  
  
अंचल अधिकारी  
कूरडंग